पंचायत समिति भरमौर, विकास खण्ड व तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के

लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 01-04-2015 से 31-03-2018

भाग-एक

1 {क} प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत पंचायत समिति भरमौर, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अध्यक्ष/कार्यकारी अधिकारी कार्यरत थे:-

अध्यक्ष :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री गोविन्द शर्मा	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्रीमति नीलम कुमारी	23-01-16 से लगातार

कार्यकारी अधिकारी :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
2.	श्री विवेक चौहान	30-06-15 से 29-06-17
3.	श्री मनीष कुमार	30-06-17 से 30-01-18
4.	श्री सुनील कुमार	01-02-18 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्र0सं0	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹ लाखों में }
1.	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना परिणामस्वरूप अन्तशेषों में भारी अन्तर	8.92

2.	6	अनुदानों का उपयोग न करना।	186.78
3.	7	निर्माण कार्यों का पूर्ण न करने के कारण अनुदान का अवरोधन ।	1.85
4.	9	फर्नीचर की खरीद पर अनियमित व्यय	0.19
5.	10	टैक्सी/वाहन के किराये के रूप में अधिक व्यय करना।	0.29
6.	11	पेट्रोल की खरीद पर अनियमित व्यय	0.11

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

पंचायत समिति भरमौर , विकास खण्ड व तहसील भरमौर , जिला चम्बा , के अवधि 01/4/2015 से 31/03 /2018 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (सहायक नियन्त्रक) व श्री प्रीतम चन्द, (कनिष्ठ लेखा परीक्षक) द्वारा दिनांक 18-06-2018 से 23 -06-2018 तक के दौरान खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय भरमौर में किया गया। स्वस्त्रोत से आय शून्य थी व व्यय की विस्तृत जाच के लिए माह 08/15, 03/17 व 03/18 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदनका प्रारूपण पंचायत समिति के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त समिति द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

पंचायत समिति भरमौर , विकास खण्ड व तहसील भरमौर , जिला चम्बा अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹10800 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:162 दिनांक 23-06-17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति भरमौर से अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति:-

पंचायत समिति भरमौर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत समिति के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

वर्ष	अथशेष (₹)	स्व-स्त्रोत	अनुदान 13FC +BRGF (₹)	ब्याज (₹)	जोड़ (₹)	व्यय (₹)	अन्त शेष (₹)
2015-16	17077213	0	24121210	791849	41990272	16817477	25172795
2016-17	25172795	0	13036193	792245	39001233	16683166	22318067
2017-18	22318067	0	10721888	820022	33859977	15182251	18677726

दिनांक 31-3-18 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं 0	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	PNB bharmour	0567000100659342	14715776
2.	HPSCB bharmour	17810100376	4853627
		TOTAL	**19569403**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क) दिनांक 31-3-18 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹19569403

(ख) दिनांक 31-3-18 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष ₹18677726

अन्तर ₹ 891677

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में दिनांक 31.3.18 को ₹8.92 लाख का अन्तर पाया जाना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 15(10) के अनुसार पंचायत समिति रोकड़ वही के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है जबकि पंचायत समिति की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण अवधि की रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31-03-18 को रोकड़ वही एवं बैंक खातों के अन्तिम शेष

में ₹891677 का अन्तर पाया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं 161 दिनांक 18-06-18 द्वारा कहा गया था पचायत समिति ने पत्र सं0 741 दिनांक 19-06-18 द्वारा अवगत करवाया गया कि रोकड़ बही का बैंक के साथ दिनांक 31-03-18 तक मिलान कर लिया जोकि सही नहीं है । अत : पंचायत समिति द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत : उक्त अन्तर का अतिशीघ्र मिलान किया जाए व भविष्य में भी नियमानुसार रोकड़ वही का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

5 बजट रजिस्टर न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 38 से 43 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बजट तैयार करना अनिवार्य है परन्तु अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया कि पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण अवधि का बजट प्राकलन तैयार नहीं किया गया था। अत : अंकेक्षण अवधि के बजट प्राक्कलन को तैयार न करने व पंचायत समिति से अनुमोदित न करवाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करके ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 अनुदान ₹186.78 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत समिति द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक 13 वा वित्त आयोग अनुदान ₹186.78 लाख उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत समिति द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा। अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

7 तेरहवे वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत ₹2.55 लाख के निर्माण कार्यों को पूर्ण न करना परिणाम स्वरूप ₹1.85 लाख के अनुदान का अवरोधन:-

अंकेक्षण के दौरान कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा प्रस्तुत सूचना की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों को पूर्ण रूप से निष्पादित नहीं किया गया है व न ही पंचायत समिति के पदाधिकारियों ने कार्यों को पूर्ण रूप से निष्पादित करने हेतु कार्यवाही अमल में लाई गई है, जबकि इन निर्माण कार्यों की राशि को स्वीकृत किए हुए लगभग तीन वर्ष का समय हो चुका है। जिस कारण ₹1.85 लाख अनुदान के अवरोधन के साथ-साथ पंचायत के लोगो को निर्माण कार्यों से प्राप्त सुविधाओं से वंचित होना पड़ा एवं 13वे वित्त आयोग में निर्धारित उदेश्यों की पूर्ति न हो सकी। अत: निम्न निर्माण कार्यों को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

क्रम सं0	**निर्माण कार्य का नाम**	**स्वीकृत सं0 व दिनांक**	**स्वीकृत राशि (₹)**	**व्यय की राशि (₹)**	**बकाया राशि (₹)**
1.	रेन श्ल्टर ग्रहण ग्राम पंचायत तुन्धा	721-26 dt.30-04-15	100000	25000	75000
2.	पक्का रास्ता राजू के घर से खेत तक ग्राम पंचायत चोभिया	2408-2417 dt.03-10-15	54650	15000	39650
3.	निकास नाली गाँव ब्राम्हणी ग्राम पंचायत खणी	-----	100000	30000	70000
		कुल जोड़	**254650**	**70000**	**184650**

8 विक्रय कर के रूप में ₹0.01 लाख का अनुचित भुगतान :-

वा.सं 2 माह 0 3/17 की जाँच करने पर पाया गया कि ₹29851 का भुगतान मै० मणिमहेश ट्रेडर्स भरमौर को स्टेशनरी की खरीद हेतु किया गया। उक्त खरीद से सम्बन्धित कुटेशनो की जाँच करने पर पाया गया कि सभी फर्मो द्वारा दरें विक्रय-कर के साथ दर्शाई गई थी जबकि उक्त फर्म द्वारा अपने बिल में ₹1421 विक्रय कर अलग से वसूल किया गया जोकि अनुचित था। अतः उक्त विक्रय-कर की राशि को दोषी से वसूल कर पंचायत समिति निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

9 फर्नीचर खरीद हेतु अनियमित रूप से ₹0.19 लाख का अधिक व्यय करना :-

वा.सं 4 माह 03/17 की जाँच करने पर पाया गया कि ₹99433 का भुगतान मै०रजनी स्टील फर्नीचर इंडस्ट्री चम्बा को उनके बिल सं0 1304 दिनांक 23-02-17 के लिए फर्नीचर की खरीद हेतु किया गया। स्वीकृति पत्र सं 5808-12 दिनांक 21-02-17 के अनुसार उक्त खरीद हेतु केवल ₹80000 की राशि ही स्वीकृत की गई थी। इस प्रकार पंचायत समिति द्वारा फर्नीचर की खरीद हेतु अनियमित रूप से ₹19433 का अधिक व्यय किया गया था। अतः उक्त अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 टैक्सी/वाहन के किराये के लिए अनियमित रूप से₹0.29 लाख अधिक व्यय करने बारे :-

वित्त विभाग के पत्र सं :फिन (सी)-बी(7)-1/2009-loose dated 22-04-16 के अनुसार ₹ 8/-प्रति किलोमीटर की दर से टैक्सी का भुगतान करना अपेक्षित था जबकि वा0सं0.05 माह 03/17 की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹28540 टैक्सी/वाहन के किराये हेतु अधिक व्यय किए गए ।

(क) मै० विजय कुमार सपुत्र भाग सिंह गाँव ग्रीमा तहसील भरमौर को किए भुगतान-

दिनांक	गाड़ी न०	यात्रा का ब्यौरा	कुल दूरी	किया गया भुगतान (₹)	अपेक्षित भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
07-07-16	HP-01-1299	भरमौर से कुगती व वापिस	60km	1500	480	1020
17-11-16	यथोपरि	भरमौर से कुलेठ-होली-लाम्बू व वापिस	140km	3500	1120	2380
22-11-16	यथोपरि	भरमौर से बन्नी – तुन्धा व वापिस	120km	4200	960	3240
30-11-16	यथोपरि	भरमौर से रुन्हकोठी व वापिस	60km	2800	480	2320
23-12-16	यथोपरि	भरमौर से नयाग्राम – दयोल व वापिस	130km	3200	1040	2160
30-12-16	यथोपरि	भरमौर से होली व वापिस	120km	2500	960	1540

				जोड़		12660
(ख)मै० भीम शर्मा टैक्सी भरमौर को किए गए भुगतान :-						
04-02-17	HP-01C-0431	भरमौर से चम्बा व वापिस	140km	4000	1120	2880
09-02-17	यथोपरि	यथोपरि	140km	4000	1120	2880
14-02-17	यथोपरि	भरमौर से गरोला –उलांसा व वापिस	60km	2200	480	1720
17-02-17	यथोपरि	भरमौर से चन्हौता व वापिस	80km	2600	640	1960
23-02-17	यथोपरि	भरमौर से चम्बा व वापिस	140km	4000	1120	2880
06-03-17	यथोपरि	यथोपरि	140km	4000	1120	2880
10-03-17	यथोपरि	यथोपरि	140km	1800	1120	680
					जोड़	15880
					कुल जोड़(क+ख)	28540

टैक्सी/वाहन के किराये हेतु अधिक दर से भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सम्बन्धित से अधिक भुगतान की गई ₹28540 की राशि की वसूली की जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

11 पेट्रोल की खरीद पर ₹0.11 लाख का नियमित व्यय:-

वा0सं0 7 माह 0 3/17 की जाँच करने पर पाया गया कि ₹11368 का भुगतान मै०ठाकुर एच.पी.सेंटर लाहल को उनके बिल सं0 5690 दिनांक 31-12-16 के सन्दर्भ में 197 लीटर पेट्रोल की खरीद हेतु किया गया जोकि पंचायत समिति निधि पर उचित प्रभार नहीं था अत: उक्त अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेने उपरांत नियमित करवाया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से उक्त राशि की वसूली कर पंचायत समिति निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

12 पंचायत समिति की अधिशेष राशि को नियमानुसार निवेश न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 26 के अनुसार पंचायत समिति में उपलब्ध अधिशेष निधियों को पंचायत समिति द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक,सहकारी बैंक में इस प्रकार निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु पंचायत समिति द्वारा इस नियम की

अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वितीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत समिति के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी अधिशेष राशि थी । अतः अकुशल वितीय प्रबन्धन के कारण पंचायत समिति को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत समिति द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जाँच पड़ताल रजिस्टर
3. अग्रिम रजिस्टर
4. वही खाते तैयार न करना

14 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत समिति के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 **लघु-आपति विवरणिका:-**लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

16 **निष्कर्ष** :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (xv)(7) 35/2018 खण्ड–1–8168–8170 दिनांक 7.12.18 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भरमौर, तहसील भरमौर, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881